

विधान सभा आवास, पश्चिम 'अ' के उच्च का प्रतिष्ठित 'पंचवीस' अ॥ प्रश्न सं. [क. 3091] मध्य प्रदेश शासन
प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट के प्रश्न सं. 2016/17/मेडि-1 के उत्तर का प्रतिष्ठित 'पंचवीस' अ॥ [26/3/2018]

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय


भोपाल दिनांक 31/08/2016

आदेश

क्रमांक 2061/3569/2016/17/मेडि-1: राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ 18-17/2009/ 17/मेडि-1 दिनांक 31/10/2009 द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नर्सिंग संवर्ग में कार्यरत शासकीय सेवक की अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष में वृद्धि कर 65 वर्ष किये जाने का निर्देश है। इसके अनुक्रम में संचालनालय के पत्र क्रमांक/9/नर्सिंग/सेल-2/2009/1167 दिनांक 26/11/2009 द्वारा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) एवं महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (एल.एच.व्ही.) पर भी शासन के उक्त आदेश के लागू होने का उल्लेख किया गया है, जो कि अलिपिकीय (Non-ministrial) सेवा भर्ती नियम के विरुद्ध है। दिनांक 20 अक्टूबर 1989 को जारी अलिपिकीय (Non-Ministrial) सेवा भर्ती नियम में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) एवं महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (एल.एच.व्ही.) के पदों का उल्लेख है।

शासन के अलिपिकीय (Non-ministrial) 1989 सेवा भर्ती नियम में कार्यरत संवर्ग की अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष निर्धारित है। अतः संचालनालय के पत्र दिनांक 26/11/2009 को अलिपिकीय सेवा भर्ती नियम के विरुद्ध होने के कारण निरस्त करते हुये स्पष्ट किया जाता है, कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) एवं महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (एल.एच.व्ही.) की अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष ही रहेगी। उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(गिरिश कुमार नेगी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ०क्र० 2061/3569/2016/17/मेडि-1

भोपाल दिनांक 31/ 8 /2016

प्रतिलिपि:-

1. सचिव मुख्य मंत्री, मध्यप्रदेश शासन भोपाल।
2. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।

निरंतर 2/-

3. निज सचिव, माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
 4. समस्त उपर मुख्य सचिव, म. प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल।
 5. समस्त प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, भोपाल।
 6. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
 7. आयुक्त, जन संपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 8. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 9. समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश शासन।
 10. समस्त आयुक्त, मध्यप्रदेश।
 11. संचालक, लोक स्वास्थ्य/परिवार कल्याण/चिकित्सा सेवाएँ, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 12. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
 13. समस्त सांभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश।
 14. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।
 15. समस्त सिविल सर्जन-सह-मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अंग्रेजित।

6000/8116
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

विभाग स्थापना आदेशिका प्रस. क्र. 3071 के प्रस्ताव "क"
के उद्देश का परिशिष्ट "क"

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

// आदेश //

भोपाल, दिनांक /03/2018

क्रमांक एफ 20-1/2018/17/मेडि-1: मन्त्रि-परिषद् के निर्णय दिनांक 09 जनवरी 2018 के परिपालन में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्यरत 913 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) एवं 513 महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (एल.एच.व्ही.) जो कि दिनांक 31.08.2016 को 60 वर्ष से अधिक आयु की होकर इस दिनांक तक शासकीय सेवा में रही हैं, उनकी वास्तविक अर्हकारी सेवा के आधार पर तथा अन्तिम वेतन के आधार पर पेंशन निर्धारण की कार्यवाही की जावे।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अजय नथानियल)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
भोपाल, दिनांक 07/03/2018

पृ. क्रमांक एफ 20-1/2018/17/मेडि-1
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, मुख्य मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन भोपाल।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल।
3. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्यमंत्री जी, लो.स्वा.एवं. परि. क. विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल।
5. आयुक्त, जन संपर्क, मध्यप्रदेश भोपाल।
6. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवार्य, मध्यप्रदेश भोपाल।
7. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
8. समस्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्य, मध्यप्रदेश भोपाल।
9. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
10. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवार्य, मध्यप्रदेश।
11. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मध्यप्रदेश।
12. समस्त सिविल सर्जन-सह-मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
13. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
14. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
स्टॉक फाईल।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग